उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या–**21/1/2013**/का–2/2014
लखनऊ, दिनांक : **16** जून, 2014

उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2–समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

4–प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।

5–प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

6–सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7–सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9–वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

10–गार्ड फाइल ।

11–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न नियमावली को सरकारी असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश के विधायी परिशिष्ट, भाग–4, खण्ड–(क) सामान्य परिनियम नियम के अन्तर्गत प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा संलग्न नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी में मुद्रित 2000 प्रतियाँ कार्मिक अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(**योगेश चन्द्र**)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–21/1/2013/का–2/2014

लखनऊ, दिनांक : 16 जून, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली *उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2014* कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2– यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3– जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में;

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावली या सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के अधीन सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सहायक अभियन्ता" में सहायक अभियन्ता (सिविल), सहायक अभियन्ता (विद्युत), सहायक अभियन्ता (याँत्रिक), सहायक अभियन्ता (प्राविधिक) का पद और किसी भिन्न पदनाम से कोई अन्य पद, जो सहायक अभियन्ता पद के समरूप और समकक्ष और उससे अन्तर्परिवर्तनीय हो और सरकार द्वारा समय–समय पर यथा अधिसूचित ऐसे अन्य समकक्ष पद, सम्मिलित हैं;

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ज) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

लागू होना

4– यह नियमावली राज्य के अभियन्त्रण और अन्य विभागों में सहायक अभियन्ता के पदों पर लागू होगी।

सीधी भर्ती की रीति

5– सहायक अभियन्ता के पदों पर सीधी भर्ती, योग्यता के आधार पर, जैसा कि सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम से प्रकट हो, की जायेगी।

भर्ती की प्रकिया

6–(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिए आवेदन–पत्र, आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में अधिसूचित प्रारूप में उनके द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश का प्रमाण–पत्र न हो।

(3) चयन एक हजार अंकों का होगा। अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्नलिखित ढंग से तैयार की जायेगी :–

(क) सात सौ पचास अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक हेतु तीन सौ पचहत्तर अंकों के दो प्रश्न–पत्र होंगे।

(ख) आयोग, लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार दो सौ पचास अंकों का होगा।

(ग) साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायेगा।

(घ) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि खण्ड (ग) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, विधावार पृथक सूचियाँ तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में भी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें, तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर रखा जायेगा।

(4) आयोग, उप–नियम (3) के खण्ड (घ) के अधीन विधावार सूचियाँ तैयार करने के पश्चात विभागों के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की वरीयता पर विचार करते हुए, सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितना वे नियुक्ति के लिए उचित समझें।

टिप्पणी – प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और नियम ऐसे होंगे जैसा आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 21/1/2013-k2, dated ....., 2014:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION
Miscellaneous

No. .. 21/1/2013-k2./2014
Dated Lucknow, ...16....Jun, 2014

IN exercise of the powers under proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules:

THE UTTAR PRADESH ASSISTANT ENGINEER'S COMBINED COMPETITIVE EXAMINATION RULES, 2014

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called **The Uttar Pradesh Assistant Engineer's Combined Competitive Examination Rules, 2014.**

(2) They shall come into force at once.

Overriding effect

2. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules or orders.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context -

(a) "appointing authority" means the authority empowered to make appointment to the post of Assistant Engineer under the relevant Service Rules or the executive instructions issued by the Government;

(b) "Commission" means the Uttar Pradesh Public Service Commission;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(e) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(f) "Assistant Engineer" includes the post of Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Electrical), Assistant Engineer (Mechanical), Assistant Engineer (Technical) and, any other post, with a different designation, which is similar and equivalent to and interchangeable with the post of Assistant Engineer and such other equivalent posts as notified by the Government from time to time;

(g) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(h) "year of recruitment" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

Applicability

4. These rules shall apply to the posts of Assistant Engineer in Engineering and other departments of the State.

Mode of direct recruitment

5. Direct recruitment to the posts of Assistant Engineer shall be made on the basis of merit as disclosed by the result of Combined Competitive Examination.

Procedure for recruitment

6. (1) Applications for permission to appear in the competitive examination shall be called by the Commission in the format notified in the advertisement issued by them.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission issued by the Commission.

(3) Selection shall carry one thousand marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner:-

(a) There shall be an objective type written examination of seven hundred fifty marks consisting of two papers of three hundred seventy five marks each.

(b) After the results of the written examination have been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the provisions of reservation, summon for interview such number of candidates as , on the result of

the written examination, have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The interview shall carry two hundred fifty marks.

(c) The marks obtained by each candidate at the interview shall be added to the marks obtained in the written examination.

(d) The Commission shall prepare disciplinewise separate lists of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by them under clause (c). If two or more candidates obtain equal marks, the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. In case two or more candidates obtain equal marks in the written examination also, the name of the candidate senior in age shall be placed higher in the list.

(4) The Commission, after the preparation of disciplinewise lists under clause (d) of sub-rule (3) shall, considering the preference of the candidates in respect of the departments, recommend to the concerned appointing authority such number of candidates as they consider fit for appointment.

NOTE: The syllabus and rules for competitive examination shall be such as may be prescribed by the Commission from time to time.

By order,

(**Rajiv Kumar**)
Principal Secretary